छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 684/2006</u>

श्री के. ए. अंसारी,
अधिवक्ता,
पेण्ड्रारोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग,
पेण्ड्रारोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) .... अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 24 सितम्बर 2007)

श्री के. ए. अंसारी के द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई कि आयोग के द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक 684/2006 में आदेश दिनांक 09–03–2007 के द्वारा आदेश पारित किया गया था कि अभिलेख शुल्क की 100/–रुपये की राशि आवेदक को लौटाई जावे तथा चेक के संबंध में शिकायतकर्ता को स्पष्ट उत्तर दिया जावे। आवेदक के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयोग के द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुसार जानकारी उपलब्ध न कराने के लिये जन सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रारोड को – सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20(1) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया कि क्यों न 15,000/–रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। अनावेदक के द्वारा पत्र दिनांक 28–06–2007 के द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि निर्देशानुसार 100/–रुपये का मनीआर्डर आदेश श्री के.ए.अंसारी को भेजा गया था जिसकी रसीद उनके द्वारा संलग्न की गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में कार्यालय के भृत्य के द्वारा भी यह राशि भेजी गई थी, किन्तु उन्होंने लेने से इंकार कर दिया था। अतः भृत्य के द्वारा रिपोर्ट दिये जाने पर मनीआर्डर से राशि भेजी गई। यह भी बतलाया गया कि उनके द्वारा जो जानकारी चाही गई थी, वह जानकारी उन्हें प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बतलाया कि आयोग के निर्देशों का पूर्णतः पालन कर लिया गया है। जो–जो चेक कार्यालय के द्वारा काटे गये उसकी जानकारी आवेदक को दी गई। आवेदक के द्वारा जिन राशियों का आवेदन में उल्लेख किया था, उसकी जानकारी आवेदक को प्रदान कर दी गई है। आवेदक ने 13 राशियों को उल्लेख किया था, जिसके संबंध में आवेदक को दिनांक 11–09–2007 के द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया कि उनके आवेदन पत्र में उल्लेखित पीले रंग से चिन्हित राशि के चेक कुल 10 जारी नहीं किये गये हैं तथा जिन राशियों के चेक जारी किये गये हैं उसकी पूर्णतः जानकारी आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है।

2/ स्पष्ट है कि आयोग के द्वारा पारित आदेश के सन्दर्भ में आवेदक को 100/–रुपये की राशि मनीआर्डर से भेजी जा चुकी है, जो आवेदक को प्राप्त हो चुकी

है। साथ ही जिन राशियों के संबंध में चेक जारी किये जाने के बाबत् आवेदक ने जानकारी चाही थी, वह भी स्पष्ट रूप से आवेदक को दी जा चुकी है। अतः अनावेदक के द्वारा आदेश के क्रियान्वयन में कोई त्रुटि नहीं की गई है। पूर्व में भी जितनी राशियों के चेक लोक निर्माण विभाग के द्वारा काटे गये थे, उसकी जानकारी आवेदक को दी जा चुकी थी। फिर भी स्पष्ट रूप से आयोग के निर्देशानुसार आवेदक के आवेदन–पत्र में उल्लिखित राशि के जो चेक नहीं काटे गये हैं, उस संबंध में भी आवेदक को सूचित किया जा चुका है।

3/ अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आवेदक को पर्याप्त जानकारी दी जा चुकी है, 100/–रुपये की राशि भी वापस की जा चुकी है। अतः अनावेदक जन सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है। अनावेदक के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं देने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, अतः अनावेदक के विरूद्ध जारी अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

4/ आवेदक को पूर्ण जानकारी मिल जाने के कारण यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त